ई.पी.ए.--4

राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.18(आई--24)आईडब्ल्यूएमपी / 2009--10 / 597-669 दिनांक : 14/6/10

परियोजना प्रबन्धक एवं
अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन),
जिला परिषद

विषय :- प्रवेश बिन्दू गतिविधि अन्तर्गत **Roof Top Water Harvesting Structure** स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनान्तर्गत स्वीकृत नवीन जलग्रहण परियोजनाओं में प्रवेश बिन्दू गतिविधियों के चयन एवं कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा--निर्देश समय समय पर परिपत्रों के माध्यम से जारी किये गये है।

जलग्रहण परियोजनाओं की कियान्विति हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त--2008 के पैरा 50 के बिन्दु संख्या (i) में भू जल शक्यता के संवर्द्धन करने का उल्लेख है। इस हेतु परियोजना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत भवनों / सामुदायिक भवनों / विद्यालय भवनों इत्यादि के छत के पानी को एकत्रित करने हेतु Roof Top Water Harvesting Structure स्थापित किये जा सकते हैं एवं इसके साथ टांका निर्माण व वृक्षारोपण कार्य भी किये जा सकते हैं।

अतः वर्ष 2009--10 में आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं, जिनमें अभी तक प्रवेश बिन्दु गतिविधियॉं स्वीकृत नहीं हो पाई है, में परियोजना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों एवं विद्यालय भवनों इत्यादि के छत के पानी को एकत्रित करने हेतु Roof Top Water Harvesting Structure प्राथमिकता पर स्थापित करने के प्रयास किये जावें। इसके अतिरिक्त जलग्रहण परियोजना के विकास कार्यों से भी आवश्यकतानुसार Roof Top Water Harvesting Structure का कार्य परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक / सामुदायिक भवनों में प्राथमिकता पर करवाया जावें। ग्राम पंचायत भवनों में उक्त स्ट्रक्चर स्थापित करने के कार्य को प्राथमिकता दी जावें। साथ ही भविष्य में स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं में भी इस गतिविधि को प्राथमिकता से सम्पादित करने के प्रयास किये जावें। उक्त कार्य 31 जुलाई, 2010 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई–24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2009–10 / 597–669 दिनांक : 14/6/10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
6. उपनिदेशक (प्रशासन / प्रशिक्षण / ग्रा.ति. / आईडब्ल्यूएमपी / गुण नियंत्रण), निदेशालय।
7. समस्त परियोजना प्रबन्धक (डी.डब्ल्यू.डी.यू.), जिला परिषद को भेजकर लेख है कि पत्र की छाया प्रति समस्त लेखाधिकारी एवं समस्त सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए.) पंचायत समिति को अपने स्तर से उपलब्ध करावें।
8. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक